


FOR FARMERS CATEGORY

RPSOJ
SECTOR-2

60

16-
**GREATER
NOIDA**
C.I.T.Y
Planned with an obsessic

Clean, Green Environs
with infrastructure for perfect living



GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

**TERMS AND CONDITIONS
FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL PLOTS**

IN SECTOR- 2

IMPORTANT DATES

Scheme opens on 17.2.2009
Scheme closes on 16-3-2009
Allotment on draw basis
Draw of lots is expected in the month of
June 2009



TERMS & CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL PLOTS UNDER RESIDENTIAL PLOT SCHEME IN SECTOR-2

A. SCHEME DETAILS

A-1 Scheme Name/ Code: RPS01/09

A-2 Scheme Detail

Sl. No.	Sector Name	Size of Plot (in Sqm.)	Total Number of Plots (Approx)	Unreserved	Reserved for Farmer Category	Registration Amount (in Rs.)
1.	02	162	1200	990	210 (105+105)	1,70,100/-
2.	02	220	800	660	140 (70+70)	2,31,000/-

Numbers of plots can be increased or decreased at the time of allotment.

A-3 The Tentative rate of Allotment will be Rs 10,500/- per sqm. Location charges as given in Clause A-7.2 shall be payable as part of the premium of the plot.

A-4 PAYMENT PLAN

A-4.1 CASH DOWN PAYMENT PLAN (Payment Code A-4.1)

In this plan, successful applicant/ allottee are required to pay the total premium of the plot (after adjusting registration money already paid) within 60 days from the date of allotment. Once Cash down payment plan is opted, no change in payment plan will be permitted. 50 % plots shall be allotted to the applicant opting for Cash down payment plan, If number of applicants opting cash down plan are less than the plots reserved for cash down, balance plots would be included with plots earmarked for the applicants applying under Five Year Payment Plan with Interest. In case Numbers of cash Down Applicants are more than plots reserved for cash down, manual draw will be held for allotment among the applicants applied under the cash down plan.

A-4.2 FIVE YEAR PAYMENT PLAN WITH INTEREST (Payment Code A-4.2)

In this plan, 30% of the total premium of the plot (after adjusting registration money already paid) shall be payable within 45 days from the date of allotment as allotment money. Balance 70% shall be payable in Ten Equal half yearly installments calculated from the 16th day from the date of allotment.

Five Year Payment Plan with Interest - Five Years Installment Plan.

A-5 REGISTRATION

(a) General Category (Category-I)

Applicants as per their eligibility should apply in the application form attached herewith along with Demand Draft /Pay Order drawn in favour of "**Greater Noida Industrial Development Authority**" payable at **New Delhi/Noida/Greater Noida**. The applications complete in all respect can be deposited in any of the Bank branches listed below in Clause 'C'. The acknowledgement receipt of the application form shall be given by the respective Banks.

(b) **Reserved Category (Category-II)**

This category would include Farmers whose land has been acquired or directly purchased by the Authority and possession taken on or after 01.04.2002. For this Category, the forms shall be available and deposited at the Bank Branches listed below In Clause **C-1**.

A-6 MODE OF PAYMENT

A-6.1 All payments to the Authority can be made in the form of Demand Draft/Pay Order drawn in favour of "**Greater Noida Industrial Development Authority**" payable at **New Delhi/Noida/Greater Noida**. The payments shall be accepted directly at the Bank branches authorised in allotment letter.

A-6.2 Normally, no extension in payments shall be allowed. If the amount payable to the Authority is not paid within the prescribed time limit, extension of time for such default period under very exceptional circumstances may be allowed upto a maximum of 3 months subject to the condition that during the entire payment plan such extensions shall not be more than three times. In the event of extensions, interest @ 15% per annum compoundable quarterly shall be payable on the defaulted amount for the defaulted period.

A-6.3 The payment made by allottee/lessee shall first be adjusted towards the interest due, if any, and thereafter the balance shall be adjusted towards the instalment due and the lease rent payable.

A-7 AREA

A-7.1 The area of plot allotted may slightly vary at the time of handing over of the possession. The premium of the plot will proportionately vary due to such variation. If such variation is less than or equal to 10%, no change in location or surrender shall be allowed. However, if such variation is more than 10%, the allottee shall have the option of surrendering the allotment and take back entire money deposited by him/her with 4% simple interest.

A-7.2 Location Charges:-

- a) For Corner plots:- 5% of the premium
- b) For plots facing park /green belt :- 5% of the premium
- c) For plots facing 24 m. wide road :- 5% of the premium

A-8 The draw for the allotment of plots in the scheme is likely to be done in the month of June 2009 for which a separate public notice would be published in the newspapers.

SECTION - II

ENCL: 04/09

- (iv) Only one plot will be allotted to one applicant in his/her name or in the name of his/her spouse or dependent children. In case more than one plot is allotted to the applicant (including spouse) or his/her dependent children it



shall be the responsibility of the applicant to bring it to the notice of the Authority within a month from the date of issue of allotment letter and get it surrendered. Otherwise, the Authority shall be forced to take action as per Clause G of the brochure.

B-2 RESERVED CATEGORY- (Category-II)

Farmers whose land has been acquired or directly purchased by the Greater Noida Industrial Development Authority

210 plots of 162 Sqm. & 140 plots of 220 Sqm. are reserved for the farmers whose land has been acquired/**purchased and unhindered/without encroachment possession has been taken by GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY on or after 1.4.2002.** Out of those, 18% (i.e. 38 & 25 respectively) plots will be reserved for SC/ST Category of Farmers whose land has been acquired.

B-2.1. The detailed eligibility conditions and the procedure for allotment under this category are enumerated as below:-

- 1.1 Only those farmers are eligible to apply under this scheme, whose land has been acquired/**purchased and unhindered/without encroachment possession has been taken by GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY on or after 1.4.2002.** (Undertaking-I on Stamp Paper of Rs. 10/- is to be given by the applicant farmer as per performa given in the Application Form).
- 1.2 In case a land owner has already been allotted residential plot or built up house in his/ her name or his/her spouse/dependent children, in any of the residential schemes of the Authority, he/ she shall not be eligible to apply under this scheme.
- 1.3 In case there are more than one joint-khatedar, in such case, all joint khatedar can apply under this scheme. Draw between all such eligible joint khaedar shall be made and one successful applicant, out of all joint-khatedars, shall be selected before final draw of lots.
- 1.4 Only those farmers who have been given 15% rehabilitation bonus are eligible to apply in this reservation category.
- 1.5 Under this category, successful applicant/allottee can not transfer the allotted plot up to five years from the date of allotment.
- 1.6 No encroachment should have been done by the applicant on land acquired/purchased by Greater Noida irrespective of acquired land against which the application for allotment is being made in this Scheme. A declaration to this effect shall have to be given on Stamp Paper of Rs. 10/- by the applicant farmer as per performa given in the application form (Undertaking-II).
- 1.7 The applicant/allottee has received entire compensation of the land acquired. The applicant has to submit Form-11 issued by the Comptent Authority with the application.
- 1.8 On verification of Undertaking I/II or at stage, if it is found that on the acquired/purchased land, there are encroachment or not received the full compensation, the allotment shall be cancelled.

B-3 PROCEDURE OF ALLOTMENT

Allotment would be made by the draw of lots within each eligible category. The draw will be held on 15.03.2009.

Demand Draft of Rs. 1100/- along with the registration amount towards the cost of Brochure.

The application form duly completed and signed alongwith the required registration money, should be submitted to any of the listed Bank branches between 17.02.2009 to 16.03.2009 for all Categories.

For General Applicant

SR. NO	BANK CODE	NAME OF BANK & ADDRESS
01-	01	Allahabad Bank, Sec.10, Noida
02-	02	Axis Bank, Sector-16, Noida.
03-	03	ABN Amro Bank, Sector – 18, Noida
04-	04	Bank of Baroda, Sector-Gamma-II Gr. Noida & Sec.18, Noida.
05-	05	Bank of Maharastra, Sec. Alpha-I, Gr. Noida.
06-	06	Canara bank Gamma Shopping Mall, Gr.Noida.
07-	07	H.D.F.C Bank Sec-Alpha Comm.Belt, Gr.Noida., Sector-18.
08-	08	H.D.F.C. Bank, Darbar Lal Sharma Marg, New Vidhan Sabha, Lucknow.
09-	09	Indian bank, S-7, Gamma Shopping Mall, Gr. Noida.
10-	10	Indian Bank , G-41, Connaught Place, New Delhi.
11-	11	Oriental Bank of Commerce , Sector-20, Noida.& Rajnagar, Ghaziabad.
12-	12	Oriental Bank of Commerce, The Mall, Kanpur.
13-	13	State Bank of India, K.P.-I, Near Kailash Hospital, Gr. Noida.
14-	14	State Bank of Bikaner & Jaipur, Sec.18, Noida.
15-	15	Union Bank of India, C-56,A/28 Sec.62, Noida
16-	16	Vijaya Bank, Sector-19, Noida.
17-	17	Bank of India, Beta-II, Greater Noida.
18-	18	Corporation Bank, S-6, Gamma-I, Jagat Farm, Greater Noida.
19-	19	Andhra Bank Sector- 19, Noida

C-1

For reserved Farmers Category

SR. NO	BANK CODE	NAME OF BANK & ADDRESS
01.	20	Vijaya Bank, Jagat Farm, Gamma-1, Greater Noida

UNSUCCESSFUL APPLICANTS

Those applicants who have not been allotted plots will be returned their registration money without interest, if the period of deposit of such money with the Authority is less than one year. However, if the period of deposit is more



than one year, 4% simple interest, shall be paid for the entire period of deposit.

F SURRENDER

- F-1 In case of surrender before allotment, the entire Registration Money deposited shall be refunded without interest.
- F-2 In case of surrender after the allotment but within 30 days from the date of allotment, 10% of the Registration Money shall be forfeited and balance amount deposited shall be refunded without interest.
- F-3 In case of surrender after 30 days of allotment but before 60 days (for application Payment Plan A-4.1) and within 45 days of allotment (under Payment Plan A-4.2), 50% of the registration money will be forfeited and balance amount shall be refunded without any interest. No separate notice shall be given for the same.
- F-4 In case the allotment is sought to be surrendered after 60 days (under Payment Plan A-4.1) and after 45 days (under Payment Plan A-4.2) but before 6 months from the date of allotment, **10% of the total premium** of plot shall be forfeited. Balance amount, if any, shall be refunded without any interest. No separate notice shall be given for the same.
- F-5 After six months, surrender shall not be allowed and all deposited money shall be forfeited.
- F-6 In case the allottee fails to deposit the due amount within the stipulated time, allotment will be liable for cancellation and in case of such cancellation, the money so deposited till the date of cancellation will be forfeited.

NOTE: The date of surrender in the above cases shall be the date on which application is received at the Authority's office. No subsequent claim on the basis of postal certificate will be entertained.

G CANCELLATION

In addition to the other specific clauses relating to cancellation, the Authority/Lessor as the case may be, shall be free to exercise its rights of cancellation of allotment/lease in the case of :

1. Allotment being obtained through misrepresentation/suppression of material facts.
2. Any violation of directions issued, or rules or regulations framed by the Authority or by any other statutory body.
3. Default on the part of the applicant/allottee/lessee for breach/violation of terms and conditions of registration/allotment/lease and/or non deposit of allotment amount.

In the event of cancellation, under sub-clause (1,2,3) above, the entire deposits till the date of cancellation shall be forfeited and possession of the plot will be resumed by the Authority/Lessor with structure thereon, if any, and the allottee/lessee will have no right to claim any compensation thereof.

SECTION - IV

H PERIOD OF LEASE AND LEASE RENT

The allotment of plot will be given to the allottee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable in lumpsum at the rate of 10% of the total cost of the plot before execution of lease deed.

The cost and expenses of preparation, stamping and registering the legal documents and its copies and all other

incidental expenses will be borne by the allottee who will also pay the stamp duty of transfer of immovable property levied or any other duty or charge that may be levied by any authority empowered in this behalf.

K MORTGAGE

The allottee/lessee may, with the previous consent of the lessor, mortgage the land **after execution of lease deed** to any scheduled bank / financial institution for raising loan subject to such terms and conditions as may be decided by the lessor at the time of granting the permission, provided that in the event of sale or fore closure of the mortgaged or charged property the lessor shall be entitled to claim and recover such percentage, as decided by the lessor, of the unearned increase in the value of said land as first charge, having priority over the said mortgage charge. The decision of the lessor in respect of the market value of the said land shall be final and binding on all the parties concerned,

Provided further that lessor shall have pre-emptive right to purchase the mortgage or charged property after deducting such percentage as decided by the lessor of the unearned increase as aforesaid.

The lessor's right to the recovery of the unearned increase and the pre-emptive right to purchase the property as mentioned herein before shall apply equally to involuntary sale or transfer, be it by or through execution of decree of insolvency/court.

L CONSTRUCTION

1. The allottee/lessee have to obtain completion certificate from the Authority within five years from the date of allotment or within 3 years from the due date of execution of lease deed whichever is later. In the event of failure to do so, allottee shall be liable to pay administrative charges as per prevailing norms, at that time, for the extension, from the due date given for the execution of legal documents. If the allottee fails to obtain completion certificate within the extended time, action for cancellation of allotment and forfeiture of deposited money shall be taken.

Note:

1. The above extension charges are levied as per the prevailing policy of Greater Noida. Any changes in the above shall be binding on the allottee /lessee and no request regarding non communication of these changes shall be entertained.
2. The lessee/allottee shall construct residential building in accordance with the relevant Building Regulations or any general or specific directions that may be issued by the Authority and only after getting the proper sanction of the building plan by the lessor.
3. In case of any violation of any regulation/direction, the defect, if not compoundable could be got rectified by the Authority and the expenses incurred in carrying out such work will be recovered from the allottee/lessee.

SECTION – V

M TRANSFER OF PLOT

1. The allottee/lessee shall not transfer the plot to any other person without the prior written consent of the Chief Executive Officer, who shall have the power to reject or accept such request.

**N MISUSE, ADDITIONS, ALTERATIONS ETC.**

The allottee/lessee shall not use the land/flat for any purpose other than residential. The lessee/allottee shall not be entitled to divide the plot or amalgamate it with any other plot/flat without the prior written permission of Chief Executive Officer or any officer authorised by the CEO in this regard. In case of violation of the above conditions, allotment shall be liable to be cancelled and possession of the premise alongwith structures thereon, if any, shall be resumed by the Authority.

O LIABILITY TO PAY TAXES

The allottee/lessee will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessment of every description imposed by any Authority empowered in this behalf, in respect of the plot and by any other statutory body, whether such charges are imposed on the plot or on the building constructed thereon, from time to time.

P OVERRIDING POWER OVER DORMANT PROPERTIES

The lessor reserves the right to all mines, minerals, coals, washing gold, earth oils, quarries in or under the plot and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working and obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the plot(s)/flat or for the structure time being standing thereon provided always, that the lessor shall make reasonable compensation to the allottee/lessee for all damages directly occasioned by exercise of the rights hereby reserved. The decision of the CEO on the amount of such compensation will be final and binding on the Allottee/lessee.

Q MAINTENANCE

1. The allottee at his own expense will take permission for sewerage, electricity, and water connections from the concerned departments of the Authority or from the competent authority in this regard.
2. That the Lessee will keep the demised premises and buildings
 - i) at all times in a state of good and substantial repairs and in good sanitary condition to the satisfaction of the lessor.
 - ii) the available facilities as well as the surroundings neat and clean and in good healthy and safe condition to the convenience of the inhabitants of the place.
3. That the lessee shall abide by all regulations, bye-laws directions and guidelines of the Authority framed/issued under section 8, 9 and 10 or under any other provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and rules made therein.
4. In case of non-compliance of these terms & conditions, and any directions of the Authority, the Authority shall have the right to impose such penalty as the CEO may consider just and/or expedient.
5. If the maintenance work of any area is not found satisfactory according to the Authority, then the required maintenance work shall be done at the expense of the allottee/lessee.

the lessor.

SECTION – VI**R OTHER CLAUSES**

- R-1 The Chief Executive Officer or any officer authorised by the CEO in this regard reserves the right to make such additions/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he may consider just or/and expedient
- R-2 In case of any clarification or interpretation regarding these terms and conditions the decision of the Chief Executive Officer or any officer authorised by the CEO in this regard shall be final and binding on the applicant/allottee/lessee.
- R-3 If due to any "Force majeure" or such circumstances beyond the Authority's control, the Authority is unable to make allotment or the possession of the allotted plot, entire registration money or the deposit, depending on the stage of allotment will be refunded alongwith simple interest at the rate of 4% per annum if delay in refund is more than one year from such date.
- R-4 Any dispute between the Authority/Lessor and allottee/lessee shall be subject to the territorial jurisdiction of the Civil Courts having jurisdiction over Greater Noida or the Courts designated by the Hon'ble High Court.
- R-5 The registration/allotment/lessee will be governed by the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976(U.P.Act No.6 of 1976) and by the rules and/or regulations made or directions issued under this Act.
- R-6 The plot can also be owned jointly by husband/wife.
- R-7 All arrears due to the lessors are recoverable as arrears of land revenue.

For clarifications contact:

Manager (Property)

Ph.: 0120- 2326150-152



11

अन्डरटेकिंग-1

(रु0 10/- के नाँन ज्युडिशिल स्टैम्प पेपर पर नौटरी सहित)

प्रतिभूपत्र- I

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता
संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम
.. का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक
को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के उठा लिया गया है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।

आवेदक

सत्यापन : भूलेख विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

प्रमाणितकर्ता
तहसीलदार / प्राधिकारी

अन्डरटेकिंग-2

(रु0 10/- के नाँन ज्युडिशिल स्टैम्प पेपर पर नौटरी सहित)

प्रतिभूपत्र- II

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या
खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम
का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।

प्रमाणितकर्ता
उप महाप्रबंधक / प्राधिकारी

नियम व शर्तें

सैक्टर- 02

आवासीय भूखण्ड के आवंटन हेतु

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना प्रारम्भ की तिथि : 17.02.2009

आवेदन की अंतिम तिथि : 16.03.2009

आवंटन ड्रा के आधार पर

ड्रा की प्रस्तावित माह : जून, 2009

सम्बद्ध बैंक द्वारा ही प्रदान की जाएगी।

(ख) आरक्षित श्रेणी :

इस श्रेणी में ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के वह कृषक आयेंगे जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अथवा सीधे क्रय की गयी हैं तथा उसका कब्जा 01.04.2002 को या इसके बाद लिया गया है। इस श्रेणी हेतु आवेदन पत्र क्लाज-सी-1 के बैंकों से उपलब्ध होंगे तथा जमा किये जा सकेंगे।

ए-6 भुगतान विधि:

ए-6.1 सभी भुगतान प्राधिकरण को ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/प्रेषणादेश, जो नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर देय हों के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे ही स्वीकार किये जायेंगे।

ए-6.2 सामान्यतः भुगतान हेतु समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान, निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है, इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत अधिकतम 3 महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे विस्तरण 3 से अधिक नहीं होंगे। विस्तरण की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जिसका ऑकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाएगा, की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

ए-6.3 आवंटी/पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय किश्त में व देय लीजरेण्ट में समायोजित की जायेगी।

ए-7 क्षेत्रफल

ए-7.1 आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में भूखण्ड का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भूखण्ड की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

ए-7.2 अवस्थित अधिभार

क)	कोने पर स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत
ख)	पार्क/ग्रीन बैल्ट के सम्मुख स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत
ग)	24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत

ए-8 योजना के आवंटन का ड्रा माह जून, 2009 में संभावित है। जिसकी सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।

अनुभाग- (11)

संशुद्धि



- 1.3 अर्ह आवेदक, उनके पति, पत्नी अथवा आश्रित बच्चों केवल एक भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- 1.4 यदि किसी परिवार के अथवा उस पर आश्रित सदस्यों के पक्ष में एक से अधिक आवंटन हो जाता है तो यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर उक्त तथ्यों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें और अतिरिक्त आवंटनों का निरस्तीकरण करवा लें अन्यथा प्राधिकरण ब्रोशर में मुद्रित क्लोज 'जी' के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होगा।

बी-2 आरक्षित श्रेणी (श्रेणी-2)

कृषक जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित / सीधे क्रय की गई हो।

इस श्रेणी में 210 भूखण्ड 162 वर्गमीटर के तथा 140 भूखण्ड 220 वर्गमीटर के ऐसे कृषकों के लिए आरक्षित हैं, जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा के विकास के लिए 01.04.2002 को अथवा इसके बाद में अर्जित / क्रय की गयी हो तथा उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। इन भूखण्डों में से 18% (क्रमशः 38 एवं 25) भूखण्ड अनु० जाति एवं अनु० जनजाति श्रेणी के ग्रामवासियों के लिए आरक्षित हैं।

बी-2.1 इस श्रेणी के अन्तर्गत विस्तृत अर्हता की शर्तें एवं आवंटन की प्रक्रिया निम्नाुसार हैं।

- 1.1 ऐसे कृषक जिनकी भूमि दिनांक 1.4.2002 को अथवा उसके पश्चात अधिग्रहित / सीधे क्रय की गयी हो एवं उस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो (प्रतिभु-पत्र रुपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप-1 के अनुसार जो कि आवेदन फार्म के साथ संलग्न है, देना अनिवार्य हैं)।
- 1.2 यदि किसी कृषक को उक्त आरक्षण के अंतर्गत पूर्व में आवासीय भूखण्ड / भवन आबंटित किया जा चुका है तो वे इस योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 1.3 यदि किसी खाते में एक से अधिक सह-खातेदार हैं, ऐसी दशा में समस्त सह-खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। इन समस्त सह-खातेदारों के मध्य ड्रा करके एक सफल सह-खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सहखातेदार को योजना के ड्रा आफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।
- 1.4 उन्हीं कृषकों को आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी जो ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के मूल निवासी हों अर्थात् जिन्हें प्रतिकर भुगतान के समय Rehabilitation Bonus के रूप में उन्हें 15 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
- 1.5 इस आरक्षण के अन्तर्गत आबंटित भवनों का हस्तांतरण आबंटन की तिथि से पांच वर्ष तक अनुमन्य नहीं होगा।
- 1.6 अधिग्रहित भूमि पर कोई अनाधिकृत / अवैध कब्जा न किया गया हो। इस आशय का शपथ-पत्र (प्रारूप-2 पर) प्रस्तुत करना होगा।
- 1.7 आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म-11 सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
- 1.8 सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण में अनाधिकृत / अवैध

सी- आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क रुपये 1100/- के भुगतान के साथ निम्नलिखित किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 1150/- का ड्राफ्ट वरिष्ठ प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा, गामा शापिंग काम्प्लेक्स, सेक्टर-गामा, ग्रेटर नौएडा सिटी पिन कोड-201308 को प्रेषित कर प्राप्त किये जा सकते हैं। इन प्रपत्रों में रु. 50/- के अतिरिक्त धनराशि पंजीयन धनराशि के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस स्थिति में रुपये 1100/- का डिमांड ड्राफ्ट ब्रोशर के मूल्य के लिए पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विधिवत भरे हुए तथा आवश्यक संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अपेक्षित पंजीयन राशि सहित निम्नलिखित किसी भी बैंक की शाखा में दिनांक 17.02.2009 से 16.03.2009 के मध्य तक जमा कराने होंगे।

सामान्य श्रेणी

क्र.सं.	कोड संख्या	बैंक का नाम
01.	01	इलाहाबाद बैंक, सेक्टर-10, नौएडा
02.	02	ऐक्सिस बैंक, सेक्टर-16 नौएडा
03.	03	ए.बी.एन. एम्रो बैंक, सेक्टर-18, नौएडा
04.	04	बैंक आफ बड़ौदा, सेक्टर-गामा-2, ग्रेटर नौएडा और सेक्टर-18, नौएडा
05.	05	बैंक आफ महाराष्ट्र, अल्फा-1, ग्रेटर नौएडा
06.	06	केनरा बैंक, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
07.	07	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेक्टर-अल्फा-1, ग्रेटर नौएडा एवं सेक्टर-18, नौएडा
08.	08	एच.डी.एफ.सी. बैंक, 38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग, न्यू विधान सभा, लखनऊ
09.	09	इण्डियन बैंक, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
10.	10	इण्डियन बैंक, जी-41, कनाट प्लेस, नई दिल्ली
11.	11	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर-20, नौएडा एवं राजनगर, गाजियाबाद
12.	12	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, द माल, कानपुर
13.	13	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, के.पी.-1 नियर कैलाश हास्पिटल, ग्रेटर नौएडा
14.	14	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सेक्टर-18 नौएडा
15.	15	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सी-56, ए/28, सेक्टर-62 नौएडा
16.	16	विजया बैंक, सेक्टर-19 नौएडा
17.	17	बैंक आफ इण्डिया, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा
18.	18	आर्य समाज बैंक, गामा-6, गामा-6, ग्रेटर नौएडा



अनुभाग- (111)

- डी जैसे हैं जहां के आधार पर:-
क्रैता द्वारा भूखण्ड 'जैसे हैं जहां हैं' के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारम्भ कर स्वीकार किये जायेंगे।
- ई असफल आवेदक:
उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें भूखण्ड आवंटित नहीं होते हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है तो उस पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से जमा की सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्याज दिया जायेगा।
- एफ समर्पण
- एफ-1 आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी।
- एफ-2 आवंटन के उपरान्त 30 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
- एफ-3 आवंटन के पश्चात किशतों पर आधारित योजना में 30 दिन के बाद परन्तु 45 दिन के पहले तथा नकद भुगतान योजना में 30 दिन के बाद परन्तु 60 दिन के अंदर आवंटन समर्पण किया जाता है तो पंजीयन राशि की 50 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा।
- एफ-4 यदि कोई आवंटनी नकद भुगतान योजना में 60 दिन के बाद तथा किशतों पर आधारित योजना में 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने से पहले समर्पण करता है तो भूखण्ड की प्रीमियम का 10 प्रतिशत काट लिया जायेगा। कटौती के पश्चात शेष राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। इसके लिए कोई पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
- एफ-5 यदि आवंटनी निर्धारित समय में देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये भूखण्ड के लिए निरस्तीकरण की दिनांक तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

टिप्पणी:

उपरोक्त मामलों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होगा। आवंटनी को समर्पण आवेदन पत्र के साथ आवंटन पत्र की मूल प्रति, पंजीकरण पावती संलग्न करना आवश्यक है। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जी- निरस्तीकरण

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा :-

1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।

आवंटनी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जब्त की गयी धनराशि किसी भी दशा में प्राधिकरण में जमा कराई गयी राशि से अधिक नहीं होगी। उक्त हेतु पृथक से कोई नोटिस प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा।

अनुभाग- (IV)

- एच. पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया
भूखण्ड का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा।
- आई- पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन
आवंटी को आवंटन तिथि से दो वर्ष के भीतर कानूनी दस्तावेज के अन्तर्गत अनुबन्ध करना होगा और भूखण्ड का कब्जा निर्धारित अवधि के भीतर लेना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को तत्समय की दर के अनुसार प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अंकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
- जे- दस्तावेजी प्रभार
कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकस्मिक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।
- के- गिरवी रखना:
आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर भूखण्ड की लीज डीड के पश्चात किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु भूखण्ड/भवन गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड/भवन की अनर्जित बढ़ी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड/भवन के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्ववर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वकय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वकय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय/दिवालियेपन की आज्ञाप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।
- एल- निर्माण
1. आवंटी/पट्टाधारक को आवंटन की तिथि से पांच वर्ष के भीतर अथवा लीजडीड कराने की निर्धारित अंतिम तिथि से 3 वर्ष, जो भी बाद में हो, निर्माण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से लेना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को समय विस्तरण प्रशासनिक शुल्क तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप देय होगा। विस्तारित समयवधि में भी यदि आवंटी भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने में विफल होता है तो आवंटन पट्टाप्रलेख रद्द कर दिया जाएगा और भूखण्ड प्राधिकरण को पुनः आवंटन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।
 2. आवंटी/पट्टाधारक को आवंटन की तिथि से पांच वर्ष के भीतर अथवा लीजडीड कराने की निर्धारित अंतिम तिथि से 3 वर्ष, जो भी बाद में हो, निर्माण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से लेना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को समय विस्तरण प्रशासनिक शुल्क तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप देय होगा। विस्तारित समयवधि में भी यदि आवंटी भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने में विफल होता है तो आवंटन पट्टाप्रलेख रद्द कर दिया जाएगा और भूखण्ड प्राधिकरण को पुनः आवंटन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।
 3. इस विधि में चयन व निर्देश का उल्लंघन करने पर भूखण्ड को अक्षय/अविभाज्य अर्द्ध के रूप में घोषित किया जा सकता है और आवंटी/पट्टाधारक को भूखण्ड का अधिकार रद्द कर दिया जाएगा और भूखण्ड प्राधिकरण को पुनः आवंटन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।
- टीक कराई जायेगी और ऐसा करने पर आने वाले खर्च को प्राधिकरण द्वारा आवंटी/पट्टाधारक से वसूल की जायेगी।



अनुभाग- (V)

एम भूखण्ड का हस्तांतरण

एम-1 कानूनी उत्तराधिकारी :

अपने (महिला/पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।

एम-2 कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त

कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति, लीजडीड निष्पादन के उपरान्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। भूखण्ड के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

एन- दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि:

भूखण्ड का प्रयोग रिहायश के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

ओ- करों के भुगतान का दायित्व :

आवंटी/पट्टाधिकारी को भूमि के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

पी- भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु :

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय भूखण्डों के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज का तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय भूखण्ड के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी भवन के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित धनपूर्ति की परिधि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत अधिकार आवंटित किए जायेंगे।

आवंटी का रखरखाव, भूखण्ड तथा स्तम्भकार क्षेत्रों का रखरखाव और नगरपालिका के द्वारा नगरपालिका के साथ-साथ इस संबंध में नगरीय सेवाओं के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

4. प्राधिकरण की नियम व शर्तों के अनुपालन न होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझा जाये वैसी दण्ड लगा सके।
5. यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र का उचित अनुरक्षण नहीं है उस दशा में प्राधिकरण उचित अनुरक्षण करवाकर जो भी व्यय होगा, आवंटी से संयुक्त रूप में तथा/अथवा पृथक-पृथक रूप में वसूल करेगा। अनुरक्षण तथा/अथवा ठीक करने पर व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
6. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
7. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।

अनुभाग- (VI)

आर अन्य अनुच्छेद

- आर-1 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- आर-2 इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- आर-3 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित भूखण्ड पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, एक वर्ष से अधिक होने पर उस तिथि से 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- आर-4 सभी विवादों का आवंटन/पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।
- आर-5 आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम मान्य होंगे।
- आर-6 भूखण्ड का स्वामित्व पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
- आर-7 प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

टिप्पणी-

ब्रोशर के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख में यदि कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी आलेख अन्तिम एवं मान्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें-



अन्डरटेकिंग-1

(रु0 10/- के नॉन ज्युडिशिल स्टैम्प पेपर पर नौटरी सहित)

प्रतिभूपत्र-

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के उठा लिया गया है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।

आवेदक

सत्यापन : भूलेख विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

प्रमाणितकर्ता
तहसीलदार / प्राधिकारी

अण्डरटेकिंग- 2

(रु0 10/- के नॉन ज्युडिशिल स्टैम्प पेपर पर नौटरी सहित)

प्रतिभूपत्र- II

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया

उप महाप्रबंधक, प्राधिकारी



GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

169, Chitvan Estate, Sector Gamma, Greater Noida City, Greater Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP.
 Tel.: (0120) 2326335-37, Fax: (0120)2326334 Prefix 95120 for direct dialing from Delhi.
 E-mail: gnida@del2.vsnl.net.in Visit us at: www.greaternoida.com